फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रमेश | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131,133 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 41/24**

जीसीएमएस : 2024/168

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 05.09.2024	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 3 से 9 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट अनुसार तरमीम किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 2004 प्रार्थी के पिता हुक्मीचन्द को आंवटित हुई थी एवं आवंटन के पश्चात् उक्त आराजी नम्बर के उत्तर में सडक निर्मित हुई जिससे आराजी नम्बर 2004 के उत्तरी भू भाग में से 9 बिस्वा भूमि को सरकार द्वारा सडक निर्माण हेतु अवाप्त की गई। शेष रकबे में 0.2266 हेक्टेयर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया गया। इस प्रकार सडक हेतु अवाप्त हुई भूमि के नये आराजी नम्बर 4156/2004 होकर उक्त भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के नाम पर दर्ज हुई। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के आराजी नम्बर 4155/2004 बने तथा शेष रकबे के मूल आराजी नम्बर 2004 रहे, अवाप्त की गई भूमि को सडक के पास अवाप्त किया गया था परन्तु हाल नक्शें में अवाप्त की गई भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आराजी नम्बर 4155/2004 एवं मूल आराजी नम्बर 2004 के मध्य में दर्शा दिया गया, जिसे तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 4155/2004 की तरमीम आगे राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि के आराजी नम्बर 4156/2004 कि तरमीम पीछे खातेदारी भूमि में गलत तरमीम करना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट के साथ तरमीम हेतु प्रस्तावित नक्शा भी पेश किया हैं। चूंकि राजस्व नक्शे में गलत तरमीम होने से प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। विपक्षी सं. 3 से 9 द्वारा भी तरमीम किये जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 2003, 4155/2004 को राजस्व नक्शें में तहसीलदार मावली से प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.11 17:44:40 IST
Reason: SelfAttested